



दी कांगड़ा को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड

सी- 29, कम्यूनिटी सेंटर, पंखा रोड, जनकपुरी नई दिल्ली- 110058

आवश्यक सूचना

बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट (B.R. ACT) में संशोधन किया गया है जिसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी सहकारी बैंक के बोर्ड में लगातार 10 वर्ष तक रहता है तो उसे 3 वर्ष के लिये बोर्ड से बाहर रहना आवश्यक होगा। इस प्रावधान का पालन करते हुए निम्नलिखित बोर्ड सदस्य 09.10.2026 से बैंक के बोर्ड में नहीं हैं।

श्री आर. के. शर्मा	वाइस चेयरमैन
श्री अश्वनी शर्मा	डाइरेक्टर
श्री जितेन्द्र शर्मा	डाइरेक्टर
श्रीमती सुदेश ठाकुर	डाइरेक्टर
श्री सुखदेव शर्मा	डाइरेक्टर
श्री सुरेश पाराशर	डाइरेक्टर
श्री सुरेश चन्द शर्मा	डाइरेक्टर

निदेशक मण्डल

Service to community with smile through co-operatives